2014 का विधेयक संख्यांक 188

[दि रीजनल रूरल बैंक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

धारा 3 का संशोधन ।

1976 का 21

2. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग) में,—

(क) "उसके कार्यकरण के प्रथम पांच वर्षों के दौरान" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) "पांच करोड़ रुपए होगी जो सौ-सौ रुपए के पांच लाख" शब्दों के स्थान पर, "बीस अरब रुपए होगी जो दस-दस रुपए के दो अरब" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक में, "पच्चीस लाख रुपए से कम नहीं होगी और सभी दशाओं में शेयर सौ-सौ रुपए के पूर्णतः समादत्त शेयर होंगें" शब्दों के स्थान पर, "एक करोड़ रुपए से कम न होगी और सभी दशाओं में शेयर दस-दस रुपए के पूर्णतः समादत्त शेयर होंगे" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में, "पच्चीस लाख रुपए से कम या एक करोड़ रुपए से अधिक" शब्दों के स्थान पर, "एक करोड़ रुपए से कम" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु यदि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्रायोजक बैंक से भिन्न स्रोतों से अपनी पूंजी जुटाता है तो केंद्रीय सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी :

परंतु यह और कि यदि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में ऐसी राज्य सरकार की शेयरधारिता का स्तर पन्द्रह प्रतिशत से कम किया जाता है तो केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करेगी ।";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2क) केंद्रीय सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या प्रायोजक बैंक की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शेयरधारिता की सीमा को बढ़ा या घटा सकेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकार की शेयरधारिता की सीमा को कम करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करेगी ।";

(घ) उपधारा (3) में, "जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "जो, यथास्थिति, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है या उपधारा (2क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, यदि वह पहले से किसी अन्य प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के बोर्ड में कोई निदेशक है ;";

(ख) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्रायोजक बैंक और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अन्य संस्थाओं द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों से भिन्न शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित उतने निदेशक, जिनके नाम उस अधिवेशन की तारीख से कम से कम नब्बे दिन पूर्व प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर में दर्ज हों, जिस अधिवेशन में निदेशकों का निर्वाचन निम्नलिखित आधार पर होता है, अर्थात्:—

(i) जहां ऐसे शेयर धारकों को निर्गमित साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम कुल निर्गमित साधारण पूंजी का दस प्रतिशत या उससे कम है, वहां ऐसे शेयरधारकों में से एक निदेशक निर्वाचित किया जाएगा;

(ii) जहां ऐसे शेयर धारकों को निर्गमित साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम कुल निर्गमित साधारण पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक, किंतु कुल निर्गमित साधारण शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से कम है, वहां उपखंड (i) में निर्दिष्ट शेयर धारकों को सम्मिलित करते हुए ऐसे शेयर धारकों में से दो निदेशक निर्वाचित किए जाएंगे;

(iii) जहां ऐसे शेयर धारकों को निर्गमित साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम कुल निर्गमित साधारण पूंजी का पच्चीस प्रतिशत या कुल निर्गमित साधारण शेयर पूंजी से अधिक है, वहां उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट शेयर धारकों को सम्मिलित करते हुए ऐसे शेयर धारकों में से तीन निदेशक निर्वाचित किए जाएंगे।"।

(ग) उपधारा (2) में निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के प्रभावी कार्यकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती है तो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।"।

धारा 10 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

निदेशक की पदावधि ।

"10. धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक, केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यंत और उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार उसके नामनिर्देशन के समय विनिर्दिष्ट करे, अपना पद धारण करेगा और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा :

परंतु ऐसा कोई निदेशक लगातार या आंतरायिक रूप से छह वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा ।"।

धारा 19 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में, "31 दिसंबर," अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च," अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्टतया छोटे और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास के प्रयोजनार्थ प्रत्यय और अन्य प्रसुविधाएं, प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन और परिसमापन करने का उपबंध किया गया है। उक्त अधिनियम का समय-समय पर संशोधन किया गया है और अंतिम संशोधन वर्ष 2005 में किया गया था।

2. प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के बढ़ते कारबार और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंककारी सेवाओं का विस्तार करने में गुणात्मक और साथ ही परिमाणात्मक दोनों रूपों में उनकी भूमिका विस्तारण को देखते हुए उनके पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने तथा उनके समग्र सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 का संशोधन करने की जरूरत महसूस की गई है।

3. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित की बाबत संशोधन करने के लिए है, अर्थात्:—

(क) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के पहले पांच वर्षों के उपरांत भी प्रायोजक बैंकों से प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता के जारी रखे जाने का उपबंध करना;

(ख) प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी को पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर बीस अरब रुपए, जो दस-दस रुपए के दो अरब पूर्णत: समादत्त शेयरों में बंटी होगी, किए जाने का उपबंध करना;

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की पुरीधृत पूंजी एक करोड़ रुपए से कम न होने और सभी दशाओं में शेयरों का दस-दस रुपए के पूर्णत: समादत्त शेयर होने का उपबंध करना;

(घ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक से भिन्न स्रोतों से इस शर्त के अधीन रहते हुए कि केंद्रीय सरकार और प्रायोजक बैंक की संयुक्त शेयरधारिता किसी भी दशा में इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी; यदि संबंधित राज्य सरकार की शेयरधारिता घटाकर पंद्रह प्रतिशत से कम की जाती है, तो उससे परामर्श किया जाएगा; और केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता को केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार से पूर्व परामर्श करके अधिसूचना द्वारा, बढ़ा या घटा सकेगी पूंजी जुटाने का उपबंध करना;

(ङ) (i) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक से भिन्न स्रोतों से प्राइवेट पूंजी जुटाने संबंधी प्रस्तावित उपबंधों को देखते हुए शेयरधारकों द्वारा निदेशक को निर्वाचित करने का; (ii) किसी व्यक्ति का एक से अधिक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के बोर्ड का निदेशक न होने का; (iii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के बोर्ड में केंद्रीय सरकार के एक अधिकारी की नियुक्ति का, यदि आवश्यक समझा जाए, उपबंध करना;

(च) केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निदेशक बोर्ड में नामनिर्दिष्ट निदेशकों की अवधि तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियत किए जाने और पुन:नामनिर्देशन के लिए पात्रता का उपबंध करना तथा इस बात का उपबंध करना कि एक या अधिक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के बोर्ड में केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक की संयुक्त पदावधि, चाहे सतत् रूप से हो या आंतरायिक रूप से हो, छह वर्ष से अधिक की नहीं होगी;

(छ) वित्तीय वर्ष में एकरूपता लाने के लिए वार्षिक लेखाओं के बंद होने की तारीख 31 दिसंबर से बदलकर 31 मार्च करने का उपबंध करना।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
10 दिसंबर, 2014

अरुण जेटली

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 का उपखंड (क) अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करने के लिए है जिससे प्रत्येक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर बीस अरब रुपए, जो दस-दस रुपए के दो अरब पूर्णत: समादत्त शेयरों में बंटी होगी, की जा सके। विधेयक के खंड 3 का उपखंड (ख) उसके परंतुक का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी भी प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी घटाकर एक करोड़ रुपए से कम नहीं की जाएगी और सभी दशाओं में शेयर दस-दस रुपए के पूर्णत: समादत्त शेयर होंगे। विधेयक के खंड 4 का उपखंड (क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की निर्गमित पूंजी एक करोड़ रुपए से कम की नहीं होगी। विधेयक के खंड 4 का उपखंड (ख) पूर्वोक्त धारा 6 की उपधारा (2) में परंतुक अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अपनी पूंजी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्रायोजक बैंक से भिन्न स्रोतों से जुटाता है तो केंद्रीय सरकार और प्रायोजक बैंक की संयुक्त शेयरधारिता इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी और यह कि यदि उस राज्य सरकार की प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में शेयरधारिता का स्तर घटाकर पंद्रह प्रतिशत से कम किया जाता है तो केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करेगी। विधेयक के खंड 4 का उपखंड (ग) उक्त धारा 6 की उपधारा (2) के पश्चात् एक नई उपधारा (2क) अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमा को बढ़ा या घटा सकेगी और केंद्रीय सरकार उस राज्य सरकार की शेयरधारिता की सीमा को घटाने के पूर्व संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करेगी।

2. यद्यपि प्रस्तावित विधेयक के कारण इसमें कोई तात्कालिक व्यय अंतर्वलित नहीं है, तथापि भविष्य में, चूंकि केंद्रीय सरकार प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पचास प्रतिशत की शेयरधारक है, अत: उससे भी जब कभी प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी बढ़ाई जाएगी, अपने शेयर अभिदत्त करने के लिए कहा जा सकता है और तदनुसार इसमें अतिरिक्त अनावर्ती व्यय होगा जिसे भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा। तथापि, इस प्रक्रम पर ऐसी व्यय सीमा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

3. इस विधेयक में, यदि इसे अधिनियमित किया जाता है, आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

उपाबंध

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 21) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 2

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का निगमन और उनकी पूंजी

3. (1) * * * * * प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना और निगमन।

(3) प्रायोजक बैंक का यह कर्तव्य होगा कि वह, उसके द्वारा प्रायोजित, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की निम्नलिखित प्रकार से सहायता करे, अर्थात्:—

* * * * *

(ग) ऐसे प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को उसके कार्यकरण के प्रथम पांच वर्षों के दौरान ऐसी प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करके जो प्रायोजक बैंक और प्रादेशिक बैंक के बीच करार पाई जाए :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या राष्ट्रीय बैंक की सिफारिश पर, पांच वर्ष की उक्त अवधि को ऐसी और अवधि तक, जो एक बार में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए बढ़ा सकेगी जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे।

* * * * *

5. प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी पांच करोड़ रुपए होगी जो सौ-सौ रुपए के पांच लाख पूर्णत: समादत्त शेयरों में बंटी होगी : प्राधिकृत पूंजी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय बैंक और प्रायोजक बैंक से परामर्श करके ऐसी प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा या घटा सकेगी, किन्तु इस प्रकार की प्राधिकृत पूंजी पच्चीस लाख रुपए से कम न होगी और सभी दशाओं में शेयर सौ-सौ रुपए के पूर्णत: समादत्त शेयर होंगे।

6. (1) प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की निर्गमित पूंजी, प्रथमत: उतनी होगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियत करे, किंतु वह किसी भी दशा में पच्चीस लाख रुपए से कम या एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। निर्गमित पूंजी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा निर्गमित पूंजी के पचास प्रतिशत के लिए केन्द्रीय सरकार, पन्द्रह प्रतिशत के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार और पैंतीस प्रतिशत के लिए प्रायोजक बैंक प्रतिश्रुति करेगा।

(3) बोर्ड, राष्ट्रीय बैंक, सम्बद्ध राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की निर्गमित पूंजी समय-समय पर बढ़ा सकेगा और जहां अतिरिक्त पूंजी निर्गमित की जाती है वहां ऐसी पूंजी के लिए भी उसी अनुपात में प्रतिश्रुति की जाएगी जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है।

* * * * *

9. (1) निदेशक बोर्ड धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और निम्नलिखित अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:— निदेशक बोर्ड।

(क) दो निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक, प्रयोजक बैंक या किसी अन्य बैंक के अधिकारी न हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नामनिर्देशित करेगी;

* * * * *

निदेशकों की पदावधि।

10. निदेशक (अध्यक्ष से भिन्न) पद ग्रहण करने की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो उसे नामनिर्देशित करने वाला प्राधिकारी उस समय विनिर्दिष्ट करे जिस समय नामनिर्देशन किया जाता है, और उक्त अवधि की समाप्ति पर वह तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नामनिर्देशित न किया जाए और वह पुनः नामनिर्देशन के लिए भी पात्र होगा।

* * * * *

अध्याय 5

लेखा और लेखापरीक्षा

लेखाओं का बन्द किया जाना।

19. (1) प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक या ऐसी अन्य तारीख तक, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे अपनी बहियां बन्द और सन्तुलित कराएगा और अपने लेखाओं की परीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से लेखापरीक्षक नियुक्त करेगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन एक लेखा अवधि से दूसरी लेखा अवधि को संक्रमण को सुकर बनाने की दृष्टि से, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो वह संबंधित वर्षों की बाबत बहियों को बंद और संतुलित करने के लिए, या उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए, आवश्यक या समीचीन समझती है।

* * * * *

GMGIPMRND—3623LS(S3)—12.12.2014.

LOK SABHA

CORRIGENDUM

to

THE REGIONAL RURAL BANKS (AMENDMENT) BILL, 2014

[To be/As introduced in Lok Sabha]

1. Page 3, line 21,-

for "In section 19 of the principal Act,"

read "In the principal Act, in section 19, ".

NEW DELHI;

December 15, 2014
Agrahayana 24, 1936 (Saka)